न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 56/2014
प्रविष्टि दिनांक 9–7–2014

ओमभाई पुत्र जगदीशचन्द्र, संचालक आशाराम गौशाला निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राजस्थान

–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार निवाई जिला–टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत निर्णय न्यायालय तहसीलदार निवाई दिनांक 23–6–2014 धारा 91(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :– (1) श्री केलाश अहलुवालिया अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनू शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 27-3-19

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई ने अपने आदेश दिनांक 23–6–2014 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 3502/1 रकबा 17–11 बीघा किस्म चरागाह भूमि में से 3.09 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर तारबन्दी, टीनशेड, पुख्ता दीवार बना कर अतिक्रमण करने पर भूमि से बेदखल करने एंव पेनल्टी कायम करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए नोटिस की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को जिला कलेक्टर टोंक ने कस्बा निवाई में आराजी खसरा नम्बर 3501 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 3502 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 3503 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 3504 रकबा 18 बीघा 7 बिस्वा, कुल किता–4 कुल रकबा 51 बीघा भूमि चरागाह से खारिज करके आशाराम गौशाला समिति निवाई को आवण्टित की गई थी, जिसके अनुसार मौके पर 45 बीघा 9 बिस्वा भूमि ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त गौशाला के नाम अंकित हुई है। शेष

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

रकबे की पूर्ति के लिए तहसीलदार निवाई द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–6–2002 के अनुसरण में आराजी खसरा नम्बर 3501 में से 15 बिस्वा एं खसरा नम्बर 3502 में से 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि पटवारी हल्का द्वारा नाम कर दिनांक 10–6–2002 को गौशाला के संचालक के सुपुर्द की गई है तब से इस 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर आवण्टी की हेसियत से गौशाला की गायों के चरने व ठहरने के काम आ रही है। पटवारी हल्का ने तहसीलदार निवाई के पूर्व ओदश 9–6–2002 की पालना में दिनांक 10–6–2002 को भूमि का कब्जा सुपुर्द करने के बाद भी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खसरा नम्बर 3502 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा का अंकन नहीं किया है तथा अतिक्रमण की गलत रिपोर्ट की गई है उसी को आधार मानकर गौशाला को बेदखल करने एंव शास्ति वसूली का आदेश पारित किया गया है आदेश अनुधिकृत है एंव अवैध है।

अपीलान्ट के अभिभाषक का यह भी कथन है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार गौशाला को आवण्टित 51 बीघा भूमि उपलब्ध कराने का दायित्व तहसीलदर निवाई एंव अधिनस्थ राजस्व कर्मियों का था बेदखली से पूर्व तहसीलदार निवाई द्वारा 51 बीघा भूमि की पेमाईश कराने के बाद यदि 51 बीघा भूमि से अधिक भूमि पर गौशाला का कब्जा , तारबन्दी, दीवार का निर्माण पाया जाता तब उस स्थिति में ही बेदखल की कार्यवाही उचित थी किन्तु पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 3502/1 रकबा 17–11 बीघा किस्म चरागाह भूमि में से 3.09 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर तारबन्दी, टीनशेड, पुख्ता दीवार बना कर अतिक्रमण किया है। विवादित भूमि चरागाह भूमि है जिसको न तो आवण्टन किया जा सकता है और न ही नियमन किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को राजस्व ग्रुप–3 विभाग जयपुर की स्वीकृति कमांक प 2(115) राज/ग्रुप–3/2000/ जयपुर दिनांक 13–6–2000की पालना में जिला कलेक्टर टोंक के आदेश एफ 12–3()राजस्व/वि/2000/3643–49 दिनांक 21–6–2000 से ग्राम/कस्बा निवाई की आराजी खसरा नम्बर 3501 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 3502 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 3503 रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 3504 रकबा 18 बीघा 7 बिस्वा, कुल किता–4 कुल रकबा 51 बीघा भूमि चरागाह से खारिज करके आशाराम गौशाला समिति निवाई को नियमानुसार लीज पर आवण्टित की गई थी। गौशाला को कब्जा संभलाते समय 10 बीघा भूमि पर कब्जा कम दिया गया था यह तथ्य उपखण्ड अधिकारी निवाई की रिपोर्ट कमांक 171 दिनांक 7–1–2019 से भी साबित है। तहसीलदार निवाई के आदेश दिनांक 9–6–2002 की पालना में सुपुर्दगीनामा अनुसार दिनांक 10–2–2002 को आवण्टित 51 बीघा भूमि में से कम पड़ रही भूमि एन0एच0 12 के पश्चिम की ओर उपलब्ध भूमि आराजी खसरा नम्बर 3501 में 15 बिस्वा एंव 3502 में 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि संत आशाराम गौशाला की सपुर्दगी में दी गई है, किन्तु उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में कहीं भी इन्द्राज नहीं है। अपीलान्ट को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

कराने की कार्यवाही करनी चाहिये थी, राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं होने की स्थिति में अपीलान्ट अतिक्रमी ही माना जावेगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट व स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23–6–2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27–3–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner